प्रेस नोट दिनांक 17.11.2024, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

अकाउंट से फर्जी पिन व पासवर्ड बनाकर ऑनलाइन अकाउंट से पैसा गबन करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल बरामद-

-प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
-धौखाधड़ी के अभियोग से संबंधित 2 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल के साथ गिरफ्तार-
-थाना लीलापुर पुलिस द्वारा थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत लखपेड़ा बाग घरौरा जाने वाली सड़क के पास से गिरफ्तार किया गया-
-आपराधिक षड्यंत्र के तहत प्रतिरूपण छल करते हुए प्रार्थी के अकाउंट से फर्जी पिन व पासवर्ड बनाकर ऑनलाइन अकाउंट से पैसा गबन करने के संबंध में थाना लीलापुर में धारा 319 (2)/318(4)/111(1)/61(2)/316(2) बी0एन0एस0 व 66(C) IT ACT बनाम 02 नामजद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है-

दिनांक 14.11.2024 को प्रार्थी के घर एवं दुकान बिल्डिंग मटेरियल की दुकान सगरा सुंदरपु पर नवीन गौतम सुत झगडु राम निवासी ग्राम खैरा गौरवासी थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ एवं मनमीत सिंह सुत विजय कुमार सिंह नि0 ग्रा0 नेवादा कला पूरे गुरु थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ आए। प्रार्थी को बताया कि आपके पे0टी0एम0 पर 142000 / का लोन ऑफर है इसी बहाने मेरा फोन लेकर मोबाइल में नया फोन पे डाउनलोड कर पिन जनरेट करने हेतु एक रुपये का ट्रांजैक्शन किया गया। बताया गया कि आप को लोन का पैसा 15 मिनट बाद आपके अकाउंट में आ जाएगा। वहां से चले गए पुनः दिनांक 16-11-24 को हमारी दुकान पर आकर बताएं कि अभी आपका लोन सक्सेस फुल नहीं हुआ है, पुनः पिन जनरेट करना है। आपराधिक षड्यंत्र के तहत प्रतिरूपण छल करते हुए प्रार्थी के अकाउंट से फर्जी पिन व पासवर्ड बनाकर ऑनलाइन अकाउंट से पैसा गबन करने के संबंध में थाना लीलापुर में मु0अ0सं0 413/24 धारा 319 (2)/318(4)/111(1)/61(2)/316(2) बी0एन0एस0 व 66(C) IT ACT बनाम 02 नामजद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिए गये निर्देश के क्रम में आज दिनांक 19.11.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र सिंह मय हमराह का० हरेन्द्र कुमार व का0 विनय यादव, मय चालक का0 अजय यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध ब्यक्ति व वाहन, पेण्डिगं विवेचना, तलाश वाछिंत वारण्टी के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना लीलापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 413/24 धारा 319 (2)/318(4)/111(1)/61(2)/316(2) बी0एन0एस0 व 66(C) IT ACT से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तों 1. मनमीत सिंह पुत्र विजय कुमार सिंह नि0 नेवादा कला गुरू थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष 2. नवीन गौतम पुत्र झगडूराम नि0 खैरा गौरबारी खेमन का पुरवा थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 24 वर्ष को घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोबाइल के साथ थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत लखपेड़ा बाग घरौरा जाने वाली सड़क के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. मनमीत सिंह पुत्र विजय कुमार सिंह नि0 नेवादा कला गुरू थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।
2. नवीन गौतम पुत्र झगडूराम नि0 खैरा गौरबारी खेमन का पुरवा थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी-
घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल बरामद।

पुलिस टीम-
प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र सिंह मय हमराह का० हरेन्द्र कुमार व का0 विनय यादव, मय चालक का0 अजय यादव थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,
प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी
थाना लीलापुर पुलिस द्वारा चोरी की मोटर साइकिल के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
थाना लीलापुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के लोनी नदी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी लीलापुर श्री नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 श्री शैलेश यादव मय हमराह कां0 राजेश यादव, गौरव यादव द्वारा दिनांक 19.11.2024 को देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान चोरी के मुकदमें से संबंधित मु0अ0सं0 115/2023 धारा 379 भादवि थाना राधानगर जनपद फतेहपुर से संबंधित 01 अभियुक्त हरिकेश वर्मा पुत्र धर्मराज वर्मा निवासी ग्राम हरिहरपुर कैलाहा थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना लीलापुर के लोनी नदी पुल बरदैतपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। तथा जामा तलाशी से अभियुक्त के पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
हरिकेश वर्मा पुत्र धर्मराज वर्मा निवासी ग्राम हरिहरपुर कैलाहा थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि यह मोटर साइकिल जो बरामद हुई है यह चोरी की है। इसको हमने दिनांक 27.06.2023 को जुनिहा चौराहा के पास थाना राधानगर जनपद फतेहपुर से चोरी किया था। जिसे मैं बेचने के लिए खड़ा था। कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि जिले में आसपास के जिले में घूम फिरकर मोटर साइकिल चोरी कर उनको बेच देते हैं व मिले पैसों से अपना खर्च चलाते हैं।

बरामदगीः- 01 अदद स्पलेण्डर मोटर साइकिल व जामा तलाशी से एक अदद एंड्राइड मोबाइल फोन बरामद।

आपराधिक इतिहास -
हरिकेश वर्मा पुत्र धर्मराज वर्मा निवासी ग्राम हरिहरपुर कैलहा थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास -

01. मु0अ0सं0 415/24 धारा 35(1), 317(2) बीएनएस थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 175/23 धारा 379 भादवि थाना राधानगर जनपद फतेहपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
उ0नि0 श्री शैलेश यादव मय हमराह कां0 राजेश यादव, गौरव यादव थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

हत्या के अभियोग से संबंधित 1 अभियुक्त व 02 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार, घटनास्थल से 01 अदद डंडा लकड़ी बरामद किया गया-

-प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
-हत्या एवं हत्या के प्रयास से संबंधित 1 अभियुक्त व 02 अभियुक्ता गिरफ्तार-
-थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत सिविल लाईन बस स्टैण्ड रोडवेज के पास से गिरफ्तार किया गया है-
-दिनांक 06.11.2024 को थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कुशफरा में मारपीट हुई थी । जिसमें इलाज के दौरान हुई 01 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.11.2024 को थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कुशफरा में मारपीट हुई थी। वादी की तहरीर के आधार पर थाना देल्हूपुर में मु0अ0सं0 163/24 धारा 191(2)/190/115(2)/352/351(3)/333/110 BNS बनाम 05 नामजद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया था। जिसमे इलाज के दौरान हुई 01 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। जिसके क्रम में धारा 103, 109 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। उक्त प्रकरण के संबंध में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए थे।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिए गये निर्देश के क्रम में आज दिनांक 19.11.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह के नेतृत्व व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष धनन्जय राय मय हमराही का0 सर्वेश पाण्डेय, का0 अतुल कुमार दुबे, चालक का0 रामेश्वर जाट म0का0 चंचल द्वारा देखभाल क्षेत्र / विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना देल्हूपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 163/24 धारा 191 (2)/190/115(2)/352/351(3) /333/109/110/103 BNS से संबंधित 01 अभियुक्त निशान्त मिश्रा पुत्र ओम प्रकाश मिश्रा उम्र करीब 23 वर्ष निवासीगण ग्राम कुशफरा थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़, 02 अभियुक्ता को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत सिविल लाईन बस स्टैण्ड रोडवेज के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद डंडा लकड़ी बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि दिनांक 06.11.2024 को सुबह हम लोग से मनोज मिश्रा द्वारा झगड़ा किया गया था। मनोज मिश्रा को जान से मारने की नियत से कुदाल (फावड़ा) के बेंत व लात घूसों से मारे पीटे थे। बाद मे पता चला कि मनोज की मृत्यु हो गई। हम लोगों के साथ परिवार के और लोग शामिल थे।

अभियुक्त/ अभियुक्ता का विवरण-

01 अभियुक्त निशान्त मिश्रा पुत्र ओम प्रकाश मिश्रा उम्र करीब 23 वर्ष निवासीगण ग्राम कुशफरा थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।
02. 02 अभियुक्ता।

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त 01 अदद डंडा लकड़ी बरामद।

पुलिस टीम- थानाध्यक्ष देल्हूपुर धनन्जय राय मय हमराही का0 सर्वेश पाण्डेय, का0 अतुल कुमार दुबे, चालक का0 रामेश्वर जाट म0का0 चंचल थाना देल्हूपुर, प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,
प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी
आत्म हत्या के लिए उकसाने के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को महिमापुर नहर के पास से गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 14.11.2024 को थानाक्षेत्र लालगंज अंतर्गत ग्राम खाना पट्टी में आरोपी की पत्नी ने फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली थी। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लालगज में मु0अ0सं0 474/2024 धारा 108 बीएनएस बनाम 02 अभियुक्त नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक लालगंज श्री नीरज यादव के नेतृत्व में उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह कां0 ऋषिकान्त इंदौलिया, कां0 छत्रपाल थाना लालगज द्वारा अभियुक्त सफीक पुत्र रफीक निवासी ग्राम रामनगर, भोखपुर तकिया थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ व वर्तमान पता बारेडीह खाना पट्टी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 19.11.2024 को महिमापुर नहर के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त सफीक पुत्र रफीक को विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मु0अ0सं0 474/2024 धारा 108 बीएनएस में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
सफीक पुत्र रफीक निवासी ग्राम रामनगर, भोखपुर तकिया थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ व वर्तमान पता बारेडीह खाना पट्टी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह कां0 ऋषिकान्त इंदौलिया, कां0 छत्रपाल थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।